# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-424RAAJodhpur2022-261RTA225 Paburam ors Vs Durgaram etc

01. पाबुराम पुत्र श्री जीयाराम
02. हेमाराम पुत्र जीयाराम
03. हुकमाराम पुत्र कृपाराम
04. मोडाराम पुत्र पेमाराम
05. हेमी देवी पत्नी जोराराम
06. रूखी देवी पुत्री जोराराम
07. मोटाराम पुत्र दमाराम
08. भूराराम पुत्र दमाराम
09. हीराराम पुत्र दमाराम
10. खीयाराम पुत्र दमाराम
11. मैथी देवी पत्नी दमाराम, सभी जातियान् जाट, निवासीगण- गांव गोदेलाई, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ड्स ...

**ब**

**ना**

**म**

1. दुर्गाराम पुत्र श्री खेताराम
2. ओमाराम पुत्र श्री खेताराम
3. मादाराम पुत्र श्री खेताराम
4. जेठाराम पुत्र श्री मेगाराम के कायम मुकामः -
   4.1. रामूराम
   4.2. तुलछाराम
5. भंवराराम पुत्र श्री हुकमाराम
6. बाबुराम पुत्र हुकमाराम
7. जालाराम पुत्र हुकमाराम
8. बगताराम पुत्र बुधाराम
9. पन्नाराम पुत्र बुधाराम
10. दीपाराम पुत्र बुधाराम
11. विरमाराम पुत्र बुधाराम
12. नरसींगाराम पुत्र बुधाराम
13. कोजाराम पुत्र बुधाराम
14. तोगाराम पुत्र बुधाराम
15. आदुराम पुत्र नेनाराम
16. मोतीराम पुत्र नेनाराम

21.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

17.धोकलराम पुत्र नेनाराम
18.रेंवतराम पुत्र नेनाराम
19.पाबुराम पुत्र चेनाराम
20. भुराराम पुत्र चेनाराम
21.सुरताराम पुत्र सुराराम के कायम मुकामः -
21.1. हरजीराम
21.2. उदाराम
21.3. माधाराम
सुखाराम पुत्र प्रताराम फौत के कायम मुकामः -
22.रेंवतराम पुत्र सुखाराम
23.सिमरथाराम पुत्र सुखाराम
24.तिलाराम पुत्र सुखाराम
25.भोजाराम पुत्र सुखाराम
26.गीता पत्नी सिमरथाराम
27.बगताराम पुत्र प्रतापाराम
रूपा पुत्र प्रतापाराम फौत के कायम मुकामः -
28.भुराराम पुत्र रूपाराम
29.देवाराम पुत्र रूपाराम
30.तेजाराम पुत्र भैराराम
31.दीपाराम पुत्र भैराराम
32.टीपू देवी पत्नी भैराराम
33.आदुराम पुत्र गोरधनराम
34.चेनाराम पुत्र मूलाराम के कायम मुकामः -
34.1. जेताराम
34.2. माधुराम
34.3. सतुराम
35.नारायणराम पुत्र उम्मेदाराम
36.पाबुराम पुत्र धन्नाराम
37.राजूराम पुत्र हिम्मताराम
38.चौथाराम पुत्र ताजाराम
39.मोडाराम पुत्र ताजाराम
40.रामो पुत्र ताजाराम
41.मंगला पुत्र जुगताराम
42.दीपाराम पुत्र जुगताराम
43.लेहरो पत्नी अचलाराम
44.बाबु पुत्री अचलाराम

21.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम गोदेलाई तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

45. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला, जिला जोधपुर।

46. तिलोकराम पुत्र दयालराम, जाति जाट, निवासी- गोदरलाई, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

**रेस्पो. ...**

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 10 मई 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 131/2020 मोडाराम व अन्य बनाम दुर्गाराम इत्यादि**

---

**उपस्थित-**

श्री ओ.पी. राठी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 19, 20, 21/1 से 21/3, 38

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. 45

# नि र्ण य

**दिनांक : 21 फरवरी 2024**

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 131/2020 अनवान मोडाराम व अन्य बनाम दुर्गाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 21 सितंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

21.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 668 रकबा 44.19 बीघा, खसरा नं. 671 रकबा 105.16 बीघा ग्राम गोदेलाई तहसील सेखाला के संबंध विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.09.2020 को अपीलांट्स के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी, किंतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 मई 2022 के जरिये पूर्व पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को संशोधित कर रेस्पो. तिलोकराम को कृषि कनेक्शन की छूट प्रदान कर दी, जिससे व्यथित होकर ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का मूल वाद विचाराधीन है। वाद के विचाराधीन रहते विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना रेस्पोडेंट को विशेष हिस्से पर काबिज करवाने के उद्धेश्य से नलकूप का विद्युत कनेक्शन स्थापित करने की छूट दे दी है। कानूनन संयुक्त खातेदारी की भूमि प्रत्येक इंच पर संयुक्त रुप से सभी पक्षकारान् का बराबर हक व हिस्सा होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स की एकतरफा सुनवाई करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट्स ग्रामीण काश्तकार व्यक्ति है तथा उन्हें कानूनी जानकारी नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने में विलंब हुआ है। अपीलांट द्वारा

21.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का सद्भाविक कारण होने से न्याय हित में विलंब माफ योग्य है।

. अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 मई 2022 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विद्युत कनेक्शन छूट का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध होने से अदालत हाजा स्तर पर पोषणीय नही है।

वकील रेस्पो. ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट सुरताराम के फौतेदगी नामांतरकरण की छूट प्रदान करते हुए अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये रेस्पो. तिलोकराम को खसरा नं. 671 में कृषि कनेक्शन करवाने की छूट प्रदान करते हुए पूर्व में पारित शेष अस्थाई निषेधाज्ञा को यथावत रखा है। विद्युत कनेक्शन से किसी पक्षकार के हितों पर प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

21.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के अंतिम निस्तारण हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। रेस्पो. को रेस्पोडेंट्स को हिदायत है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखकर वांछित अनुतोष हेतु चाराजोही करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.2.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर